रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1972/भाद्र 25, 1894

No. 413] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1972/BHADRA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September 1972

S.O. 601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Central Government hereby appoints the 16th September, 1972 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. S-70020(3)/72-PF-II(i).]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1972

का० आ० 601(अ).—उपदान-संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 16 सितम्बर, 1972 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं० पत्र एस-70020/3/72-पी०एफ० (II) (i)]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972